संख्या– 934/IV(2)-श0वि0–13–284(सा0)04

प्रेषक,

एम0एच0 खान,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त मुख्य नगर अधिकारी,
नगर निगम, देहरादून/हरिद्वार/रूड़की,
काशीपुर/हल्द्वानी/रूद्रपुर।

2– समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत,
उत्तराखण्ड।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक: 26 जुलाई, 2013

विषयः– उत्तराखण्ड के समस्त नगर निकायों में "उत्तराखण्ड स्थानीय निकाय लेखा संग्रह" अनिवार्य रूप से लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि प्रदेश के नगर निकायों को स्वायत्तशासी एवं वित्तीय रूप से स्वावलम्बी बनाने तथा इनकी कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने हेतु भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुपालन में शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–1742/IV(2)-श0वि0–13–284(सा0)/04, दिनांक 28–03–2013 द्वारा राज्य की समस्त निकायों में "उत्तराखण्ड स्थानीय निकाय लेखा संग्रह" के माध्यम से दोहरा लेखा प्रणाली लागू की जा चुकी है।

2– वित्त आयोग, भारत सरकार द्वारा भी वित्तीय सहायता को इस सुधार से जोड़ते हुए दोहरा लेखा प्रणाली को सभी नगर निकायों में अनिवार्य रूप से लागू किये जाने हेतु अनुशंसा की है।

3– नगर निकायों में कार्मिकों की कमी एवं कुशलता के अभाव को दृष्टिगत रखते हुए दोहरा लेखा प्रणाली नगर निकायों में लागू किये जाने हेतु निम्नवत् व्यवस्था निर्धारित की जाती है :–

(1) दोहरी लेखा प्रणाली के कियान्वयन हेतु चार्टेड एकाउन्टेन्ट की नियुक्ति प्रत्येक स्थिति में 45 दिन के अन्दर संलग्न टी0ओ0आर0 में उल्लिखित दिशा निर्देशों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 में निर्धारित प्रकिया के अधीन सुनिश्चित की जाय।

(2) चार्टेड एकाउन्टेन्ट फर्म की नियुक्ति के साथ नगर निकाय द्वारा अपने अधीनस्थ लेखा अनुभाग/लेखा से सम्बन्धित कार्य करने वाले कर्मचारी में से एक या दो उपयुक्त कर्मी इस कार्य हेतु निर्धारित अवधि के लिए नामित करना सुनिश्चित करें।

(3) नगर निकायों से यह अपेक्षा भी की जाती है कि उपरोक्त कार्य हेतु सम्बन्धित चार्टेड एकाउन्टेन्ट एवं कर्मियों को आवश्यक उपकरण/संसाधन समस्त वांछित अभिलेख उपलब्ध कराये जायें।

(4) चार्टेड एकाउन्टेन्ट पर आने वाला वित्तीय भार सम्बन्धित निकायों द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा।

(5) निकाय प्रत्येक तिमाई के समाप्त होने के उपरान्त एक माह के अन्दर अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी व चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वरा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित बैंलेस शीट आय–व्ययक व बैंक समाधान शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड को उपलब्ध करायेंगे।

(6) उपरोक्त कार्यवाही के अभाव में राज्य से निकाय को मिलने वाले अनुदान स्थगित रहेंगे, तथा निकायों को वांछित कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त की स्थगित किये गये अनुदान अवमुक्त किये जायेंगे।

4– तद्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(एम0एच0 खान)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 934/IV(2)-श0वि0–2013 तददिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2– समस्त मा0 मेयरी, नगर निगम, उत्तराखण्ड।
3– समस्त मा0 अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तराखण्ड।
4– आयुक्त, गढ़वाल/कुमांयूं मण्डल, उत्तराखण्ड।
5– निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
उप सचिव।